

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(1)एम.ई./गुप-1/2020

जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2022

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एज्युकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसरण में जस्टिस श्री एस.एन. भार्गव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अनन्ता इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, राजसमंद एवं अमेरिकन इंटरनेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, उदयपुर की एम.बी.बी.एस. तथा पी.जी. (क्लीनिकल) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में अध्ययन हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

Tuition Fee

Course	Fees in Rs. per year per student
MBBS	18,00,000/-
PG (Clinical)	31,00,000/-

Other Fees

S.No.	Item	Fees in Rs. per year per student
1	Hostel Charges	
a	Sharing Room	2,00,000/-
b	Single Room	3,50,000/-
c	1 BHK apartment	4,00,000/-
2	Admission, Examination, Library and other charges	35,000/- (including examination fee and other charges)
3	One time Registration	10,000/-

1. हॉस्टल चार्जेज में विद्युत, जल, सिक्योरिटी, इन्टरनेट, स्पोर्ट्स तथा भोजन, (1 BHK apartment के अतिरिक्त) आदि सम्मिलित है।
2. उक्त कॉलेज औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी अन्य तरह का शुल्क यथा विकास शुल्क, लैबोरेट्री शुल्क, अस्पताल शुल्क, डोनेशन आदि नकद या अन्य किसी भी स्वरूप में छात्रों से वसूल नहीं करेंगे।
3. कॉलेज उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क अथवा राशि वसूल करते हैं तो वह कॅपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवं तदनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त फीस शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रभावी है। आगामी शैक्षणिक सत्र में 5 प्रतिशत की वृद्धि कोई अन्य आदेश न होने की स्थिति में लागू होगी।

आज्ञा से


(विभव मालरिया)

शासन प्रमुख सचिव एवं सदस्य
सचिव, शुल्क निर्धारण समिति

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. माननीय जस्टिस, एस.एन. भार्गव, अध्यक्ष, शुल्क निर्धारण समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
6. सदस्यगण, शुल्क निर्धारण समिति, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।


(विभव मालरिया)
शासन संयुक्त सचिव